

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ए.4()लेखा/बजट प्लान/कॉर/11/3698-3795 दिनांक :- 29.9.11

1. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
2. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :-माननीय मुख्यमन्त्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं0 47-48 की अनुपालना में स्थापित किए जाने वाले चिकित्सा केन्द्रों के सामान्य भण्डारों (जनरल स्टोर्स) के संचालन हेतु अति आवश्यक औषधियों हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में आयोजना मद के अन्तर्गत बजट आवंटन निर्देश संख्या 1 के संशोधन के क्रम में।

संदर्भ :-इस कार्यालय का पत्रांक ए.4(1)लेखा/बजट प्लान/11/3481-3576 दिनांक 21.09.2011 एवं 3627 दिनांक 22.09.2011

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा अंकित शर्त को निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जावे:-

1. स्थानीय क्रय की जाने वाली दवाइयों के क्रय में दरों में अधिक अन्तर अर्थात् वेरियेशन (वाइड वेरियेशन) नहीं होना चाहिए।
2. औषधियों की कीमतों पर उपरोक्तानुसार वेरियेशन पर निगरानी रखने के लिए तथा दरों की रिजनेबिलिटी एवं यूनिफोरमिटी रखने के लिए अनुमोदित दरों की सूचनाएं मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार क्रयण संगठन, मुख्यालय को प्रस्तुत की जायेगी। उनके द्वारा प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को अवगत कराया जायेगा।

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ए.4()लेखा/बजट प्लान/कॉर/11/3698-3795 दिनांक :- 29.9.11

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन
2. मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार क्रयण संगठन, मुख्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन.....
5. प्रभारी सर्वर, कृपया इस पत्रांक को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर